SDO प्रा० पत्र प्र. सं. 417/2022 Online No. 2022/58?

रामस्वरूप / प्रभुलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/3/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
29/3/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षीगण 1, 2, 3 के सम्मन नोटिस बाद तामील विपक्षी सं. 4 के सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे पत्रावली दिनांक 25/4/23 को पेश हो।	
25/4/23	पत्रावली पेश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हडताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग [illegible] वर्ष 2023 मंहगाई राहत केम्प आरली? में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/6/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
13/6/2023	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित, कई बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी, अतः इसी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct का निस्तारण किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद इमला शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर वापिस दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
417/2022	03.11.2022	13.06.2023

अनवान

1. रामस्वरूप बैरवा पुत्र गोपीलाल बैरवा निवासी बैरवा मो0 गुलमण्डी, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल खटीक पुत्र किस्तुर खटीक निवासी भीलवाड़ा
2. नारायणलाल खटीक पुत्र कस्तुर खटीक निवासी भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पुत्र लादूलाल कुम्हार निवासी भीलवाड़ा
4. राधेश्याम पुत्र उदयलाल तेली निवासी हलेड़ भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता ज्योति जागेटिया – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड़, पटवार हल्का हलेड़, भू.अ.नि. क्षेत्र हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के नये खाता संख्या 185 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 2132/1 रकबा 0.3794 है0 भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ौसी हैं और प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य अपनी–अपनी आराजियात के मेड़ पाली को लेकर हर समय विवाद उत्पन्न होकर शान्तिभंग होने का खतरा बना रहता है। प्रार्थी अपनी आराजी सं. 2132/1 की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मंनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड़, पटवार हल्का हलेड़, भू.अ.नि. क्षेत्र हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के नये खाता संख्या 185 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 2132/1 रकबा 0.3794 है0 भूमि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्ज़े में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा